

तारीख हुक्म

22⁰²/₂₃

उक्त महकम अन्तःकरण में/मीटिंग/...
होने से तब पेसी की कार्यवाही की
कारण में दिनांक 05/04/23 को
05/04/23 - 23

05⁰⁴/₂₃

पत्रावली पेश की। प्रार्थी की ओर से कोई अपक्षित
नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के कारण
व. प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुमति स्वी. प्रार्थी
एवं प्रार्थी अधिवक्ता अपने द्वारा प्रस्तुत प्रमाण
के आगे प्रचार के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण
प्रार्थी का प्रमाण अल्प हाजरी एवं अल्प पैरवी में
स्वीकृत किया गया है। निर्णय आज दिनांक 05/04/2023 को
मुख्य न्यायालय में सुनाया गया। फरवली के रोल सुधार-
टोकट का लेख भण्डार है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

